

**न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क्रमांक-394 / 2014

संस्थित दिनांक-08 / 05 / 2014

फाईलिंग क्र.234503001822014

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

मनुकलाल पिता शंकरलाल पंचवे, उम्र-29 वर्ष, जाति मरार
निवासी-ग्राम परसाही, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-24 / 02 / 2018 को घोषित)

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 323, 506 भाग-2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-18.04.2014 को प्रातः 08:00 बजे, ग्राम परसाही प्रार्थी देवाल के मकान थाना बिरसा अंतर्गत फरियादी देवाल के घर की बाड़ी में फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित कर, आहत देवाल को लकड़ी के डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर, फरियादी देवाल को संत्रास करने के आशय से उन्हें जान से खत्म करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी देवाल पंचवे ने पुलिस थाना बिरसा में रिपोर्ट लिखाई थी कि दिनांक 16.04.2014 को फरियादी की पत्नी सोनवती रिश्तेदार की शादी में मांटेगाव गई थी। फरियादी उसके मकान में अकेला था। फरियादी के मकान के बाजू में फरियादी का चचेरा भाई शंकर पंचवे रहता है। जिससे फरियादी के मकान के पीछे की बाड़ी की सीमा को लेकर कुछ दिनों से मनमुटाव चल रहा था। दिनांक-18.04.2014 की सुबह 8:00 बजे फरियादी उसके घर पर खाना बना रहा था, उसी समय शंकर पंचवे का पुत्र मनुकलाल, फरियादी के घर पर आया था और फरियादी से कुदाली मांगी थी, तब फरियादी ने मनुकलाल से कहा कि कोठा में जाकर ढूंढ ले, तब मनुकलाल ने कुदाली खोजी थी उसे कुदाली नहीं मिली थी। फरियादी ने उससे कहा था कि उसे नहीं पता की कुदाली कहां रखी है, तब मनुकलाल ने कहा था कि बुढ़े

बाड़ी विवाद के कारण उसे कुदाली नहीं देना चाहता है। फरियादी को अभियुक्त ने लकड़ी के डंडे से सिर, माथे, दाहिने, गाल, गर्दन में दाहिने तरफ, बाएं हाथ कि कलाई तथा मुंह के अंदर मारा था, जिससे फरियादी को चोट आई थी। फरियादी के चिल्लाने पर मनुकलाल भागते-भागते फरियादी से बोला था कि बाड़ी का विवाद करेगा, तो उसे जान से खत्म कर देगा। पुलिस ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक-56/2014 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

3- अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना 18.04.2014 को प्रातः 08:00 बजे, ग्राम परसाही प्रार्थी देवाल के मकान थाना बिरसा अंतर्गत फरियादी देवाल के घर की बाड़ी में फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया था ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत देवाल को लकड़ी के डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी देवाल को संत्रास करने के आशय से उन्हें जान से खत्म करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6. प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7- दयाल अ.सा.01 ने उसके मुख्य कथन की साक्ष्य में बताया है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व की सुबह की 8:00 बजे की है। घटना दिनांक को जब वह घर की परछी में खाना बना रहा था तब अभियुक्त मनुकलाल साक्षी के घर पर आया था एवं साक्षी से कुदाली मांग रहा था तब साक्षी ने अभियुक्त से कहा था कि कुदाली परछी के कोने में होगी एवं साक्षी भी अभियुक्त के साथ कुदाली देखने गया था। तब अभियुक्त ने साक्षी के साथ लकड़ी के डंडे से मारपीट की थी। जिससे साक्षी के सिर व जबड़े में चोट आयी थी। घटना के समय कोई नहीं था, घर के सभी व्यक्ति विवाह में गये थे। साक्षी ने घटना दिनांक को ही घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में प्र.पी.01 लेखबद्ध करायी थी जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी का पुलिस ने शासकीय अस्पताल बिरसा में ईलाज कराया था उसके बाद साक्षी बालाघाट गया था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछकर साक्षी के कथन लिये थे। प्रतिपरीक्षण साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि साक्षी को पीछे से आकर किसी अन्य व्यक्ति ने मारा था अभियुक्त ने नहीं मारा था। अभियुक्त से दुश्मनी के कारण उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की है। अभियुक्त ने साक्षी के साथ मारपीट नहीं की थी।

8- जगन्नाथ अ.सा.08 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से तीन वर्ष पूर्व की है। अनीता के बुलाने पर वह फरियादी के घर गया था। फरियादी पड़ा हुआ था। अनीता ने देवाल को उठाकर खटिया में सुलाया था। फरियादी के मुह से खून निकल रहा था तो साफ किया था उसके बाद फरियादी को होश आया था तब गांववालों को बुलाया था। फरियादी देवाल ने बताया था कि अभियुक्त ने उसे मारा है। साक्षी ने घटना होते हुए नहीं देखी थी। पुलिस ने साक्षी के बयान नहीं लिये थे। जगन्नाथ अ.सा.08 की साक्ष्य के समान ही कथन अनीताबाई अ.सा.07 ने उसके मुख्य कथन की साक्ष्य में किये हैं। प्रतिपरीक्षण में दोनों साक्षीगण ने यह स्वीकार किया है कि घटना के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है।

9- जगेलाल अ.सा.02 का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग आठ माह पूर्व की फरियादी देवाल उर्फ दयाल के घर की सुबह 8:00 बजे की है। रोने चिल्लाने की आवाज आने पर वह फरियादी के घर पर गया था तब फरियादी ने उसे बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ डंडे से मारपीट की है। मारपीट में फरियादी के सिर, मुह पर चोट आयी थी। फरियादी को बिरसा

अस्पताल ले गये थे वहां से उसे बालाघाट अस्पताल के लिए रिफर कर दिया था। देवाल के साथ हुई मारपीट के समय साक्षी के साथ जगन्नाथ एवं उसकी बहु अनीता ने बीच बचाव किया था। पुलिस ने साक्षी के बयान नहीं लिये थे। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त फरियादी के घर के अंदर गया था वहां पर अभियुक्त उपस्थित था। दयाल के सिर, मुह, जबड़े, पीठ में सभी जगह चोट आयी थी उसके निशान दिख रहे थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त को मारते हुए नहीं देखा था एवं साक्षी फरियादी के घर नहीं गया था। किसके बीच में मारपीट हुई थी एवं कौन ने बीच बचाव किया था इसकी साक्षी को जानकारी नहीं है। साक्षी ने घटना दिनांक को फरियादी के घर जाने से इंकार किया है।

10— सोनूराम निषाद अ.सा.03 का कथन है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। उससे पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी एवं पुलिस को साक्षी ने बयान नहीं दिये थे। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 18.04.2014 की सुबह 8:00 बजे की दयाल के घर की है। दयाल के घर से रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी तब साक्षी ने उसके घर जाकर देखा था। साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि दयाल के घर के अंदर अभियुक्त उभारी की लकड़ी से चूल्हे के पास फरियादी के साथ मारपीट कर रहा था। साक्षी ने प्र.पी.02 के पुलिस कथन के ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है।

11— सगुनलाल अ.सा.04, भादूराम पांजरे अ.सा.09 घटना के साक्षी नहीं हैं। उनके समक्ष पुलिस ने अभियुक्त से कोई संपत्ति जप्त नहीं की है एवं पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया था। जप्ती पंचनामा प्र.पी.03, गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.04 पर साक्षीगण ने उनके एवं अभियुक्त के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। सगुनलाल अ.सा.04 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने जप्ती पंचनामा एवं गिरफ्तारी पंचनामा की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। भादूराम पांजरे अ.सा.09 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.03 के जप्ती पंचनामा, प्र.पी.04 के गिरफ्तारी पंचनामा पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। पुलिसवालों

ने किस संबंध में लिखा-पढ़ी की थी साक्षी को पता नहीं है। साक्षी को घटना की कोई जानकारी नहीं है। सगुनलाल अ.सा.04, भादूराम पांजरे अ.सा.09 ने प्र.पी.03 के जप्ती पंचनामा एवं प्र.पी.04 के गिरफ्तारी पंचनामा की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

12- सोमलाल कांवरे अ.सा.10 का कथन है कि वह दिनांक 18.04.2014 को पुलिस थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी देवाल उर्फ दयाल की मौखिक सूचना पर से उसके बताये अनुसार फरियादी के मुलाहिजा के बाद अपराध क्रमांक-56/14 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 पंजीबद्ध की थी जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने मन से लिख ली थी।

13- एम.आर.मेश्राम अ.सा.06 का कथन है कि वह दिनांक 18.04.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना बिरसा से आरक्षक ऋषि क्रमांक 95 आहत देवाल को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। चिकित्सक ने आहत को मेडिकल परीक्षण में निम्न उपहतियां पायीं थी- चोट क्र01- माथे के दाहिनी ओर एक कटीफटी चोट जिसका आकार ढेड इंच गुणा आधा इंच गुणा आधा इंच था। चोट क्र02- माथे के बांयी ओर एक कटीफटी चोट जिसका आकार ढेड इंच गुणा आधा इंच गुणा आधा इंच था। चोट क्र03- जबड़े के दाहिनी और मध्य भाग में एक कटीफटी चोट जिसका आकार पौन इंच गुणा आधा इंच गुणा इंच थी। चोट क्र04- दाहिने कान पर एक सूजन जिसका आकार तीन इंच गुणा पौने दो इंच थी। चोट क्र05 बांयी कलाई पर एक खरौंच आकार दो इंच गुणा एक इंच थी। चोट क्र06- चेहरे के दाहिने भाग पर एक सूजन आकार छः इंच गुणा पांच इंच थी। चिकित्सक के अभिमत में चोट क्र01 लगा. 05 की चोटें किसी कडी, बोथरी एवं खुरदुरी वस्तु से एवं चोट क्र06 किसी ठोस एवं कडी वस्तु के प्रहार से आना दर्शित होती थी। चोट क्र 01 लगा. 05 साधारण प्रकृति की थी जबकि चोट क्र06 में जबड़े के मध्य भाग की हडडी के टूटने की संभावना को देखते हुए आहत को एक्सरे कराने के लिए एवं अभिमत के लिए हडडी रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सक बालाघाट के पास रिफर किया था। आहत की चोटें मेडिकल परीक्षण के समय छः घण्टे के अंदर की थी। चोट क्र 06 को छोड़कर अन्य सभी चोटें दस से बारह दिन में ठीक हो सकती थी। दिनांक 18.04.2014 को आहत को

अस्पताल में भर्ती कर उसका ईलाज किया था। जिसकी उपचार पंर्ची प्र.पी.07 है एवं मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.06 है जिन पर क्रमशः ए से ए भाग पर चिकित्सक साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक साक्षी ने इन सुझावों में यह अस्वीकार किया है कि चोट क्र.01 लगा.05 स्वयं के द्वारा कारित की गयी थी, चोट क्र.06 कोई भी कार्य करते समय गिरने से आयी थी।

14— गोविंद प्रसाद सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.05 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि उन्हें अपराध क्र. 56/14 की केस डायरी प्राप्त होने पर उन्होंने जगन्नाथ पंचवे की निशांदाही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.05 तैयार किया था। उक्त दिनांक को साक्षी जगन्नाथ, अनीताबाई, सोनूराम, जगेलाल के बयान एवं दिनांक 18.04.2014 फरियादी देवाल उर्फ दयाल के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 19.04.2014 को अभियुक्त से गवाह सगुनलाल एवं भादूराम के समक्ष एक सतकटा की गाड़ी की उभारी लंबाई 35 इंच एवं गोलाई साढ़े पांच इंच एवं चार खुटिया कटी हुई प्र.पी.03 के जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त की थी एवं अभियुक्त को प्र.पी.04 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था। साक्षी ने घटना के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

15— प्रकरण में उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। अभियुक्त घटना दिनांक को फरियादी के घर गया था। उसने फरियादी के साथ मारपीट की है इस संबंध में फरियादी के अलावा अन्य किसी भी साक्षी के कथन में साक्ष्य नहीं है। दयाल अ.सा.01 के कथन के अनुसार अभियुक्त फरियादी के घर पर कुदाली मांग रहा था तब फरियादी ने उससे कहा था कि परछी के कोने में कुदाली होगी। आहत भी अभियुक्त के साथ कुदाली देखने गया था। इस साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए गृह स्वामी की अनुमति के बिना फरियादी के घर में प्रवेश किया था। इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध धारा-452 भारतीय दण्ड विधान का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

16— दयाल उर्फ देवाल अ.सा.01 ने कथन किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ लकड़ी के डंडे से मारपीट की थी। जिससे उसके सिर एवं जबड़े में चोट आयी थी। इस साक्ष्य का पूरे प्रतिपरीक्षण में खण्डन नहीं हुआ है। चिकित्सक एम. आर.मेश्राम अ.सा.06 ने आहत को चोट क्र.06 कोई कार्य करने से गिरने से एवं चोट क्र.01 लगा. 05 स्वयं के द्वारा कारित करने से इंकार किया है। अभियुक्त एवं फरियादी के बीच रंजिश होना प्रमाणित नहीं है। इसलिए आहत

द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाये जाने की संभावना नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध का आरोप प्रमाणित माना जाता है।

17— दयाल उर्फ देवाल अ.सा.01 ने उसके मुख्य कथन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 भाग-2 के संबंध में कोई कथन नहीं किये थे। फरियादी स्वयं ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि घटना के समय घटनास्थल पर कोई अभियुक्त उपस्थित नहीं था। जगेलाल अ.सा.02, सोनूराम अ.सा.03, सगुनलाल अ.सा.04, अनीताबाई अ.सा.07, जगन्नाथ अ.सा.08, भादूराम पांजरे अ.सा.09 के कथन में इस विचारणीय प्रश्न के निराकरण के लिए साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 भाग-2 के अपराध का आरोप प्रमाणित नहीं माना जाता है।

18— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 506 भाग-2 के अपराध का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है एवं प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

19. अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला—बालाघाट म.प्र.

// दण्डाज्ञा //

20. अभियुक्त को आपराधी परीक्षा अधिनियम की धारा-4 के उपबंधों का लाभ दिये जाने पर विचार किया गया। अभिलेख पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। किन्तु अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को उक्त उपबंधों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

21. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के अधिवक्ता श्री जी.आर.यादव को सुना गया।

अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जावे। अभियुक्त को कम से कम सजा से दंडित किया जावे। अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास से एवं 500/- (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगताये जावे। प्रकरण दिनांक 08.05.2014 से लंबित है। इस अवधि में अभियुक्त ने निरंतर प्रकरण के विचारण का सामना किया है। इस कारण अभियुक्त को दिये गये दण्ड से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है।

22. प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

23- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावे।

24- प्रकरण में जप्तशुदा एक सतकटा की गाड़ी की उभारी अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)